



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 05/2025/D-44

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 262494 दिनांक 16/10/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Maya Devi W/o SURESH SHARMA	श्री ओम प्रकाश जांगीड पुत्र श्री रंगलाल जांगीड	956	120.24 SQ. YARD	Cooperative	SHANTI NAGAR Sector/Block-	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta)	सहकारी समिति से भूखण्ड संख्या 956 क्षेत्रफल 140.00 वर्ग गज का श्री ओम प्रकाश जांगीड पुत्र श्री रंगलाल जांगीड के पक्ष में जारी आवंटन पत्र, जारी किया गया है। श्री ओम प्रकाश जांगीड द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 31.03.2008 को आवेदक श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्री नारायण शर्मा के पक्ष में बैचान किया गया है। तत्पश्चात् पंजीकृत उपहार नाम दिनांक 15.10.2024 के द्वारा श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व. श्री बद्री नारायण शर्मा अपने सगी बहन श्रीमती माया देवी



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

पत्नी श्री सुरेश
शर्मा के पक्ष में
उपहार किया गया
है। आवेदक द्वारा
इमफॉर्मेशन रिपोर्ट
एल.आर. न.
2929240/2025
दिनांक
10.15.2025 को
भूखण्ड
संख्या-956 शान्ति
नगर का मूल
सहकारी समिति
की रसीद खो जाने
के संबंध में रिपोर्ट
दर्ज करवायी गई।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (E-Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Maya Devi W/o SURESH SHARMA को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।